

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक :- 05.10.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं-231/2024 धारा -193(1)/115(2)/132/125/241/61(2)/109 BNS में वाछित 03 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2024 धारा-193(1)/115(2)/132/125/241/61(2)/109 वीएनएस मे वाछित 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 30.09.2024 को श्री रुद्र प्रताप सिंह पुत्र राम प्रकाश निवासी – ग्राम अजमतपुर थाना मऊदरवाजा ने थाना आकर एक तहरीर दी जो कि अभियुक्तगणो द्वारा एक राय होकर षडयन्त्र कर भीड को उकसाते हुए, लाठी डन्डो व ईट पत्थरो से जान से मारने की नियत से वादी तथा लेखपाल सौरभ पाण्डेय पर हमला

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 11.09.2024 को वादी श्री मूल चन्द्र पुत्र बालकराम निवासी आमखेडा पंचायत सैजना थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी पुत्री मधुबाला की उसके ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज में कार की माँग कर प्रताडित फांसी लगाकर हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0 146/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 1. हरिओम (पति) पुत्र नन्हे लाल 2. नन्हे लाल (ससुर) पुत्र सरनाम 3. श्रीमती बेबी देवी (सास) पत्नी नन्हे लाल 4. नीलम (ननद) पुत्री नन्हे लाल 5. राजेश पाल (ताऊ) पुत्र सरनाम निवासीगण ग्राम सन्तोषापुर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में क्षेत्राधिकारी महोदय कायमगंज के आदेशानुसार अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना शमसाबाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी आदेश के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. नन्हे लाल पुत्र सरनाम 2. बेबी देवी पत्नी नन्हे लाल निवासीगण ग्राम सन्तोषापुर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण उपरोक्त:-

अभियुक्तगण नन्हे लाल व बेबी देवी उपरोक्त ने पूछने पर जुर्म से इन्कार करते हुये अपनी शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया ।

अभियुक्त नन्हें का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 146/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट।

अभियुक्ता बेबी का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 146/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस:

1. थानाध्यक्ष श्री तरुण सिंह भदौरिया
2. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार
3. का0 मलिखान सिंह
4. म0का0 रेनू सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़

प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 05.10.2024

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज महोदय श्री जय सिंह परिहार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 01. नन्हे लाल पुत्र सरनाम 2.बेबी देवी पत्नी नन्हे लाल निवासीगण ग्राम सन्तोषापुर थाना शमसाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. नन्हे लाल पुत्र सरनाम निवासी ग्राम सन्तोषापुर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. बेबी देवी पत्नी नन्हे लाल निवासी ग्राम सन्तोषापुर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

कर देना तथा मारपीट करना एव सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न कर सरकारी दस्तावेजो को फाड देने से सम्बन्धित थी जिसके आधार पर मु0अ0स0 231/2024 धारा-193(1)/115(2)/132/125/241/61(2)/109 B.N.S बनाम 1.संजेश यादव उर्फ संजू पुत्र राम प्रकाश निवासी उखरा थाना नवाबगंज जिला फर्रुखाबाद आदि 30 नफर व कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम मे आज दिनांक - 05.10.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग मे नामित 03 अभियुक्तो को बलराम का मन्दिर बहद ग्राम उखरा के पास समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

- 1.अविनाश कुमार पुत्र वीरिन्द्र सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम उखरा थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़
2. सोनू उर्फ करन सिंह पुत्र स्वामी दयाल उम्र 36 वर्ष नि- उपरोक्त
3. पप्पू यादव पुत्र वीर सहाय उम्र 55 वर्ष निवासी नि0 उपरोक्त

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण उपरोक्त:- सभी अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि ग्राम उखरा में दिनांक -28.09.2024 को प्रशासन द्वारा किये गये मकानो के ध्वस्तीकरण के कारण दिनांक -30.09.2024 को हम लोग व हमारे साथियो द्वारा गांव उखरा आई प्रशासन की टीम पर एक राय होकर जान से मारने की नियत से लेखपाल रुद्रप्रताप, सौरभ पाण्डेय आदि पर हमला किया था। अब जो हमे सफाई देनी है अपने वकील के माध्यम से अदालत मे पेश करेगे।

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस:

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. वरि. उ0नि0 श्री राम सिंह
3. SI श्री गिरीश कुमार
4. HC गणेश शंकर
5. HC शैलेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़



कार्यालय
प्रभारी निरीक्षक
कोतवाली-फरुखाबाद
जनपद - फतेहगढ़

WELCOME

